दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित किया गया : 09.05.2008
निर्णय उद्घोषित किया गया : 04.07.2008

<u>रि.या. (सि.) सं. 6465/2003</u>

भारत संघ और अन्य ..... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री सतपाल, अधिवक्ता

बनाम

श्री जे.पी.शर्मा .....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री आर.वी. सिन्हा अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. सीकरी
माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को
   निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?
2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

<u>न्या. विपिन सांघी</u>

1. याचिकाकर्ता भारत संघ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (अधिकरण) द्वारा मू.आ. 2154/2002 में दिनांक 26-2-2003 के पारित निर्णय को आक्षेपित करता है जिसके अंतर्गत अधिकरण ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर उपरोक्त मू.आ. को आंशिक रूप से अनुमति दी और अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी अनंतिम पेंशन (और न की कुल पेंशन) के अनुदान को बरकरार रखने के दौरान नकदीकरण और उपदान को छोड़ने का हकदार है।

2. प्रत्यर्थी केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में जल संसाधन मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में एक पद के अंतर्गत एक उप निदेशक के रूप में कार्य कर रहा था। दिनांक 26.2.2001 को, प्रत्यर्थी को सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 10 के उपनियम (1)(ख) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी का यह निलंबन भा.दं.सं. कि धारा 120-ख, 420, 468, 477-क के अंतर्गत एक दांडिक अपराध के संबंध में जाँच के लंबित होने और दिनांक 6.2.2001 के आर.सी. सं. आर.सी.-डीएआई-2001-ए-0016 के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ग) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत हुआ था। निलंबन के दौरान, प्रत्यर्थी दिनांक 31.3.2002 को अधिवर्षित हो गया। दिनांक 27.3.2002 के पत्र द्वारा अवर सचिव, स्थापना IV सीडब्ल्यूसी के वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 (संक्षेप में पेंशन नियम) के नियम 69 के अनुसार प्रत्यर्थी को 6639/- रुपये प्रति माह

की अनंतिम पेंशन प्रदान की। यह अनंतिम पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से लेकर विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के समापन के बाद सक्षम प्राधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने की तिथि तक की अवधि के लिए स्वीकार्य बताई गई थी।

3. प्रत्यर्थी ने आदेश को चुनौती देते हुए, जिसके अंतर्गत उसे निलंबित कर दिया गया था, पहले मू.आ. 3452/2001 प्रस्तुत किया। चूँकि, इस बीच, प्रत्यर्थी दिनांक 31.3.2002 को अधिवर्षित हो गया था, इसलिए उसे उक्त मूल आवेदन वापस लेने की अनुमति दी गई थी। इसके पश्चात् उसने प्रश्नगत मू.आ. प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसका उपदान, अवकाश नकदीकरण, वेतन का बकाया और ब्याज सहित कुल पेंशन जारी करने की माँग की।

4. याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पर इस आधार पर प्रतिवाद किया गया था कि प्रत्यर्थी एक रैकेट का पक्षकार था, जिसके अंतर्गत जुलाई 1999 और मार्च, 2000 के बीच अनियमित रूप से 23,67,951/- रुपये के वेतन और भत्तों को वापस लिया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी की मौनानुकूलता से बड़े पैमाने पर सरकारी धन का गबन किया गया था। इस मामले को जाँच के लिए सीबीआई के पास भेजा गया था, जिसने उपर्युक्त प्राथमिकी, के साथ-साथ, प्रत्यर्थी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने अनंतिम पेंशन मंज़ूर कराने के लिए पेंशन नियमों के नियम 9 और 69 पर भरोसा किया। उपदान के

दावे के संबंध में, याचिकाकर्ता ने प्राख्यान किया कि यह पेंशन का एक भाग था और विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के समापन तक भुगतान नहीं किया जा सकता था।

5. अधिकरण ने, पूर्वोक्त के रूप में, प्रत्यर्थी को आंशिक राहत दी है। इसने दिनांक 27.3.2002 के संचार के माध्यम से निर्धारित अनंतिम पेंशन के अनुदान के निर्णय की पुष्टि की है। हालाँकि, इसने प्रत्यर्थी के अवकाश नकदीकरण और उपदान के दावे को अनुमति दे दी है।

6. जब यह याचिका न्यायालय के समक्ष प्रवेश स्तर पर आई, तो दिनांक 17.10.2003 को प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जो उपदान जारी करने के प्रश्न तक सीमित था। इसलिए, अवकाश नकदीकरण जारी करने का प्रश्न न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इसलिए इस स्तर पर यह हमारे विचार के लिए नहीं उठता है। आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी गई, इस सीमा तक कि इसमें प्रत्यर्थी को उपदान जारी करने का निर्देश दिया गया था।

7. इस स्थिति में, हम पक्षकारगण के संबंधित प्रतिविरोधों को उचित रूप से समझने के लिए सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 10 और

सीसीएस (पेंशन) नियम के नियम 9 और 69 के प्रासंगिक अंशों को प्रस्तुत करना उचित समझते हैं: -

"नियम 10 : निलंबन

(1) नियुक्ति प्राधिकरण या कोई प्राधिकरण, जिसके वह अधीनस्थ है या अनुशासनिक प्राधिकरण या राष्ट्रपति द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य प्राधिकरण किसी सरकारी सेवक को निलंबित करेगा-

(क) जहाँ उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात है या लंबित है; या

(कअ) जहाँ, उपरोक्त प्राधिकरण की राय में, वह राज्य के सुरक्षा के हित के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न है; या

(ख) जहाँ किसी दांडिक अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन है;

.....

(5) (क) इस नियम के अंतर्गत किया गया या समझा गया निलंबन का आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा इसे संशोधित या रद्द नहीं कर दिया जाता है।

....."

नियम 9: राष्ट्रपति को पेंशन रोकने या निकालने का अधिकार

(1) राष्ट्रपति अपने पास पेंशन या उपदान, या दोनों, या तो पूर्ण या आंशिक रूप से, या पूर्ण या आंशिक रूप से

पेंशन को वापस लेने का, चाहे स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, और सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि के संपूर्ण या भाग की पेंशन या उपदान से वसूली का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में, पेंशनभोगी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुन: रोज़गार पर प्रदान की गई सेवा भी शामिल है:

परंतु कोई अंतिम आदेश पारित करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:

परंतु इसके अतिरिक्त कि, जहाँ पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता है या वापस ले लिया जाता है, वहाँ ऐसी पेंशन की राशि तीन सौ पचहत्तर रुपये (1-4-2004 से एक हज़ार नौ सौ तेरह रुपये - जीआईडी नियम 49 देखें) प्रति माह से कम नहीं की जाएगी।

(2)(क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाहियाँ, यदि उस समय संस्थित की गई हों जब सरकारी सेवक सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, तो सरकारी सेवक की अंतिम सेवानिवृत्ति के पश्चात्, इस नियम के अधीन कार्यवाही समझी जाएँगी और जिस प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रारंभ किया गया था, उसी प्रकार जारी रखी जाएँगी और समाप्त की जाएँगी मानो सरकारी सेवक सेवारत ही हो;

परंतु जहाँ विभागीय कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा संस्थित की जाती हैं वहाँ वह

प्राधिकरण अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा।

(ख) विभागीय कार्यवाहियाँ, यदि सरकारी सेवक के सेवा में रहते हुए, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले, या उसके पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित नहीं की गई हो, -

(i) राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बिना संस्थापित नहीं की जाएँगी,

(ii) किसी ऐसी घटना के संबंध में नहीं होगा जो ऐसी संस्था से चार वर्ष से अधिक पूर्व हुई हो, और

(iii) ऐसे प्राधिकरण द्वारा और ऐसे स्थान पर जो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित हो और विभागीय कार्यवाहियों के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार जिसमें सरकारी सेवक के संबंध में उसकी सेवा के दौरान सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकेगा, संचालित किया जाएगा।

(3) हटाए गए।

(4) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित की गई है या जहाँ उपनियम (2) के अधीन विभागीय कार्यवाहियाँ जारी हैं, नियम 69 में यथा उपबंधित अनंतिम पेंशन में मंज़ूरी दी जाएगी।

(5) यदि राष्ट्रपति पेंशन न रोकने अथवा निकालने का निर्णय लेते हैं किंतु पेंशन से हुई धन-संबंधी हानि की वसूली का आदेश देते हैं तो वसूली सामान्यतः किसी सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुज्ञेय पेंशन के एक-तिहाई से अधिक की दर से नहीं की जाएगी।

(6) इस नियम के प्रयोजन के लिए, -

(क) विभागीय कार्यवाहियाँ उस तिथि को संस्थित समझी जाएँगी जिस तिथि को सरकारी सेवक या पेंशनभोगी को प्रभारों का विवरण जारी किया जाता है या यदि सरकारी सेवक को उस तिथि के पहले की तिथि को निलंबित कर दिया गया है; और

(ख) न्यायिक कार्यवाही संस्थित समझी जाएँगी-

(i) दांडिक कार्यवाहियों के मामले में, उस तिथि को जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की गई शिकायत या रिपोर्ट का दंडाधिकारी संज्ञान लेते हैं,

(ii) सिविल कार्यवाही के मामले में, उस तिथि को जब वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।

नियम 69: अनंतिम पेंशन जहाँ विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लंबित होगी

(1)(क) नियम 9 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट सरकारी सेवक के संबंध में, लेखा अधिकारी उस अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन प्राधिकृत करेगा जो सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि तक अर्हक सेवा के आधार पर स्वीकार्य होती, या यदि वह सेवानिवृत्ति की

तिथि को निलंबित था, तो उस तिथि से ठीक पहले की तिथि तक, जब उसे निलंबित किया गया था।

(ख) लेखा अधिकारी द्वारा अनंतिम पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से लेकर उस तिथि तक की अवधि के लिए प्राधिकृत की जाएगी, जिस तिथि को विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के समापन के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं।

(ग) विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूरी होने तथा उस पर अंतिम आदेश जारी होने तक सरकारी सेवक को कोई उपदान नहीं दिया जाएगा:

परंतु जहाँ केंद्रिय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 16 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही उक्त नियमों के नियम 11 के खंड (i), (ii) और (iv) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए संस्थित की गई हो, वहाँ सरकारी सेवक को उपदान का भुगतान किए जाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किए गए अनंतिम पेंशन के भुगतान को ऐसी कार्यवाही के समापन पर ऐसे सरकारी सेवक को स्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति लाभों में समायोजित किया जाएगा, किंतु जहाँ अंतिम रूप से स्वीकृत पेंशन अनंतिम पेंशन से कम है या पेंशन को स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए कम कर दिया गया है या रोक लिया गया है, वहाँ कोई वसूली नहीं की जाएगी।

8. अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा यह प्रतिवाद किया गया कि प्रत्यर्थी का निलंबन नियम 10(1)(ख) से संबंधित था न कि सीसीएस (सीसीए) नियमों

के नियम 10(1)(क) से। यह निलंबन के आदेश से भी स्पष्ट है। यह तर्क दिया गया कि इन परिस्थितियों में, नियम 9(6) के उपबंधों का वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई अनुप्रयोग नहीं था, क्योंकि, यद्यपि प्रत्यर्थी को उसकी सेवानिवृत्ति से पहले निलंबित कर दिया गया था, फिर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही को जारी नहीं माना जा सकता था।

9. इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन या लंबित नहीं थीं। आपराधिक कार्यवाहियाँ आपराधिक न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने के बाद शुरू होती है और अधिकरण के समक्ष मामले के निपटारे तक कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी ***डी.वी. कपूर बनाम भारत संघ और अन्य*** (1990) 4 एस.सी.सी. 314 और ***भारत संघ, आदि बनाम के.वी. जानकीरमन*** 1991 (2) स्केल एस.सी. 423 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा करता है।

10. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवाद किया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रत्यर्थी के निलंबन के समय से ही शुरू मानी जाती है, जबकि वह अभी भी सेवारत था और कार्यवाही की शुरुआत चालान दाखिल करने या विचारण की शुरुआत से संबंधित नहीं है।

11. याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुत करने के लिए पेंशन नियमों के नियम 69 के साथ पठित 9(4) पर भरोसा किया कि प्रत्यर्थी अनंतिम पेंशन का हकदार था और विशेष रूप से पेंशन नियमों के नियम 9(6)(क) पर भरोसा किया जिसमें कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही उस तिथि को शुरू मानी जाएगी जिस दिन सरकारी सेवक या पेंशनभोगी को आरोपों का कथन जारी किया गया था या यदि सरकारी सेवक को उस तिथि से पहले निलंबित कर दिया गया था, तो निलबंन की तिथि को। चूँकि प्रत्यर्थी को उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व निलंबित कर दिया गया था, इसलिए पेंशन नियमों के नियम 9(6)(क) के अनुसार विभागीय कार्यवाही की प्रभावी तिथि 26.2.2001 से संस्थित मानी गई थी, अर्थात्, वह तिथि जब प्रत्यर्थी को निलंबित कर दिया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.3.2002 के आदेश के अंतर्गत अनंतिम पेंशन के निर्धारण को न्यायोचित ठहराया। इसलिए जहाँ तक प्रत्यर्थी द्वारा किए गए उपदान के दावे का संबंध था याचिकाकर्ता की प्रस्तुति थी कि पेंशन नियमों के नियम 3 के अंतर्गत प्रदान की गई अभिव्यक्ति *"पेंशन"* की परिभाषा के अनुसार, पेंशन में उपदान शामिल होता है। पेंशन नियमों के नियम 69 (1) (ग) में प्रावधान है कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के समापन और उस पर अंतिम आदेश जारी होने तक सरकारी सेवक को उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। चूँकि प्रत्यर्थी को सेवा में रहते हुए निलंबित कर दिया गया था,

इसलिए विभागीय कार्यवाहियों को उसके निलंबन कि तिथि से संस्थित माना गया है जो उसकी अधिवर्षिता की तिथि से पहले हुआ था। इसलिए, प्रत्यर्थी सेवानिवृत्ति की तिथि पर उपदान के भुगतान का हकदार नहीं था क्योंकि उस समय विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त नहीं हुई थी और अंतिम आदेश जारी नहीं किए गए थे। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रतिवाद किया कि ऐसे अधिकारियों को अनंतिम पेंशन स्वीकृत करने के सिद्धांत के मूल में यह सुनिश्चित करना है कि कार्यवाही के अंतिम रूप देने तक सेवानिवृत्त अधिकारी को पेंशन के किसी भी आश्रय के बिना न छोड़ा जाए। पेंशन नियमों के नियम 69 के अंतर्गत अनंतिम पेंशन का भुगतान अनिवार्य है और यह उस अधिकतम पेंशन के बराबर है जो कर्मचारी को निलंबित किए जाने की तिथि से ठीक पहले की तिथि तक की अर्हक सेवा के आधार पर स्वीकार्य होती। नियम 69(2) पेंशनभोगी को आगे संरक्षण प्रदान करता है कि कार्यवाही के समापन के परिणामस्वरूप उसकी पेंशन में किसी भी कटौती की स्थिति में, अनंतिम पेंशन का भुगतान ऐसे सरकारी सेवक को स्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, लेकिन जब अंतिम रूप से स्वीकृत पेंशन अनंतिम पेंशन से कम हो, या पेंशन को स्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवधि के लिए कम कर दिया गया हो या रोक दिया गया हो, तो कोई वसूली नहीं की जाएगी।

12. जहाँ तक उपदान के भुगतान के पहलू का संबंध है, अधिकरण ने आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ़ 13 और 14 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> "13. जहाँ तक आवेदक द्वारा दावा किए गए उपदान का प्रश्न है, यह सत्य है कि डी.वी. कपूर (पूर्वोक्त) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई विधिक उपबंध नहीं लाया गया है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को उपदान के साथ-साथ दंड के उपाय को रोकने का अधिकार है। ये टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से डी.वी. कपूर के मामले के तथ्यों में सामने आईं। डी.वी. कपूर (पूर्वोक्त) के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। इसे लंबित रखते हुए, उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति माँगी थी और उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह ध्यान में रखा गया था कि उसके विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पेंशन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत जारी रहेगी। कथित आरोपों के संबंध में जाँच की गई थी और उसके बाद राष्ट्रपति ने रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमति जताई और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निर्णय लिया कि पूरे उपदान और पेंशन को स्थायी आधार पर रोक दिया जाना चाहिए। इसलिए, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंड के उपाय के रूप में उपदान को रोका नहीं जा सकता।
>
> 14. पेंशन नियमों के नियम 3(ण) में पेंशन में उपदान को शामिल करने की परिभाषा दी गई है, सिवाय इसके कि जब पेंशन शब्द का उपयोग उपदान के विपरीत किया जाता है। वर्तमान मामले में, आवेदक अधिवर्षित हो चुका था और पेंशन

> नियमों के नियम 9(4) के अनुसार विभागीय कार्यवाही जारी मानी जाती है, इसलिए अनंतिम पेंशन मंज़ूर की जानी चाहिए। जब ऐसी स्थिति होती है, तो पेंशन शब्द उपदान के विपरीत होगा। इसलिए, आवेदक को उपदान का हकदार माना जाना चाहिए।

13. हमारे समक्ष भी पक्षकारगण ने अपनी प्रस्तुतियों को दोहराया जो उन्होंने अधिकरण के समक्ष की थीं।

14. सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 का नियम 10 सेवारत सरकारी सेवक के निलंबन के पहलू से संबंधित है। सरकारी सेवक के निलंबन का सहारा तब लिया जा सकता है जब नियम 10(1)(क) के अंतर्गत उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की योजना बनाई गई हो या लंबित हो। सरकारी सेवक को तब भी निलंबित किया जा सकता है जब उसके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में नियम 10(1)(ख) के अंतर्गत जाँच, पूछताछ या विचारण चल रहा हो। उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि किसी सेवारत सरकारी सेवक के निलंबन का आदेश अनुशासनात्मक कार्यवाही के शुरू होने से पहले या उसके लंबित रहने के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है। इसी तरह उसे या तो जाँच या पूछताछ के चरण में या उसके विरुद्ध किसी आपराधिक अपराध से जुड़े मामले के संबंध में विचारण के चरण में निलंबित किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, निस्संदेह, प्रत्यर्थी का निलंबन नियम 10(1)(ख)

के अंतर्गत था, अर्थात्, जब उसके विरुद्ध धारा 120ख/420/468/477 भा.दं.सं. और धारा 13(2) के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ग) के अंतर्गत आपराधिक अपराध के संबंध में मामला प्राथमिकी सं. आरसी-डीएआई-2001-ए-0016 दिनांक 6.2.2001 के अंतर्गत सीबीआई द्वारा जाँच के अधीन था। निलंबन के दौरान प्रत्यर्थी 31.3.2002 को सेवा से अधिवर्षित हो गया था।

15. अधिवर्षिता के बाद सरकारी सेवक सामान्यतः पेंशन सहित अपनी सेवानिवृत्ति देय राशि के भुगतान का हकदार हो जाता है। सामान्य नियम यह है कि किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता के बाद, स्वामी और सेवक के संबंध का अंत हो जाता है और ऐसी स्थिति में नियोक्ता के पास कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता। हालाँकि, यह तभी स्वीकार्य है जब कर्मचारी पर लागू सेवा नियमों में ऐसी आकस्मिकता का प्रावधान हो। ऐसे मामलों से निपटने के लिए जहाँ सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के समय विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही लंबित है या विचाराधीन है, पेंशन नियमों के नियम 9 और 69 बनाए गए हैं। नियम 9(1) राष्ट्रपति को पेंशन या उपदान या दोनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोकने, पेंशन को पूरी तरह या आंशिक रूप से, या तो स्थायी रूप से या एक विशिष्ट अवधि के लिए वापस लेने और सरकार को हुई किसी भी वित्तीय हानि की पूरी या आंशिक राशि पेंशन या उपदान से वसूलने का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित रखता

है, बशर्ते कि पेंशनभोगी किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में अपनी सेवा अवधि के दौरान गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है। नियम 9(1) के दो परंतुक राष्ट्रपति की इस शक्ति को विनियमित और सीमित करते हैं। हालाँकि, वर्तमान मामले में हमारा उस पहलू से कोई सरोकार नहीं है।

16. पेंशन नियमों के नियम 9(2)(क) में कहा गया है कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध उसकी सेवा के दौरान शुरू की गई विभागीय कार्यवाही उसकी अंतिम सेवानिवृत्ति के बाद उसी तरह जारी रहेगी और समाप्त होगी जैसे कि सरकारी सेवक सेवारत ही था।

17. नियम 9(2)(ख) एक कदम आगे जाता है और विभिन्न सुरक्षा उपायों के अधीन, सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध उसके सेवानिवृत्त होने के बाद भी विभागीय कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देता है। इस स्तर पर हम उल्लेख करेंगे कि न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के संबंध में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, क्योंकि न्यायिक कार्यवाही शुरू करना चाहे वह आपराधिक हो या सिविल कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही नहीं है बल्कि सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में शुरू की जाती है और किसी भी स्तर पर ऐसी कार्यवाही शुरू करने में कोई बाधा नहीं हो सकती है, इस तथ्य के बावजूद कि सरकारी सेवक सेवा में है या सेवानिवृत्त हो गया है, निश्चित रूप से, परिसीमा विधि के संबंध में, या पूर्व मंज़ूरी प्राप्त करने के संबंध में, यदि विधि के अंतर्गत ऐसा आवश्यक

है। नियम 9(4) में विहित है कि जहाँ कोई सरकारी सेवक अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित है या जहाँ उप-नियम (2) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही जारी है, वहाँ नियम 69 के अंतर्गत प्रदत्त अनंतिम पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

18. नियम 9 के उपनियम (6) (क) में कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही उस तिथि को शुरू मानी जाएगी जिस दिन सरकारी सेवक या पेंशनभोगी को आरोपों का कथन जारी किया जाता है, या यदि सरकारी सेवक को पहले की तिथि से निलंबित किया गया है, तो उस तिथि को। उपनियम (6) (ख) में कहा गया है कि आपराधिक कार्यवाही के मामले में न्यायिक कार्यवाही उस तिथि को शुरू मानी जाएगी जिस दिन दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिए गए पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट की जाती है। वह तिथि है जिस दिन न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र/चालान या पुलिस शिकायत दायर की जाती है, और सिविल कार्यवाही के संबंध में वह तिथि जिस दिन न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया जाता है।

19. सीसीएस (सीसीए) नियम के नियम 10 और पेंशन नियम के नियम 9 और 69 का परिशीलन करने से पता चलता है कि एक ओर विभागीय कार्यवाही और दूसरी ओर न्यायिक कार्यवाही के संबंध में जानबूझकर अंतर किया गया है।

वर्तमान मामले में, निस्संदेह याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध न तो विभागीय कार्यवाही शुरू करने पर विचार किया था और न ही वास्तव में उसने कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की थी। सीसीएस (सीसीए) नियम के नियम 10(1)(ख) के अंतर्गत जारी 26.2.2001 का निलंबन आदेश भी यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता का कभी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी को निलंबित करने का आशय नहीं था। वास्तव में, उक्त आदेश सीबीआई द्वारा पंजीकृत 6.2.2001 के आरसी का संदर्भ देते हुए सीसीएस (सीसीए) नियम के नियम 10(1)(ख) का स्पष्ट रूप से अवलंब लेता है। अधिकरण के समक्ष दायर अपने प्रति शपथपत्र में भी याचिकाकर्ता ने पैराग्राफ़ 3 में कहा, *"चूँकि इस मामले, जो मूल रूप से आपराधिक प्रकृति का था, में जाँच विभागीय रूप से संभव नहीं थी, इसलिए केंद्रीय जल आयोग, मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय जहाँ आवेदक कार्यरत था, ने इस मामले को विस्तृत जाँच करने के लिए सीबीआई, नई दिल्ली के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को भेज दिया था क्योंकि सीडब्ल्यूसी, पीएंडएओ और आंतरिक लेखा परीक्षा के विभिन्न अधिकारियों ने कुछ अज्ञात निजी व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ मौनानुकूलता के साथ आधिकारिक पद का घोर दुरुपयोग किया था, जिन्होंने कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ सरकारी धन की धोखाधड़ी से निकासी के आपराधिक अपराध किए थे।"* हमारे प्रयोजन के लिए,

नियम 9(6)(क), जो "विभागीय कार्यवाही" से संबंधित है, इसलिए प्रासंगिक नहीं है। यह नियम 9(6)(ए) है, जिससे हमें सरोकार है। यह उपनियम, नियम 9(6)(क) के विपरीत, न्यायिक कार्यवाही की शुरुआत की तिथि के रूप में निलंबन की घटना का उल्लेख नहीं करता है। इसलिए, 26.02.2001 को प्रत्यर्थी के निलंबन को प्रत्यर्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही की शुरुआत की तिथि नहीं माना जा सकता।

20. निस्संदेह, सीबीआई ने दंडाधिकारी के समक्ष तब तक न तो आरोप पत्र/चालान/रिपोर्ट दाखिल की और न ही शिकायत दर्ज की, जब तक कि मामला अधिकरण के पास प्रत्यर्थी के विरुद्ध लंबित था। परिणामस्वरूप, हमारे विचार में यह नहीं कहा जा सकता कि पेंशन नियमों के नियम 9(6)(ख)(झ) के आलोक में प्रत्यर्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई थी। हमारे उपरोक्त निष्कर्ष का परिणाम यह है कि यह नहीं कहा जा सकता कि पेंशन नियमों के नियम 9(4) के उद्देश्य से प्रत्यर्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई थी। जैसा कि उपर्युक्त है, वर्तमान मामले में किसी भी स्तर पर किसी भी विभागीय कार्यवाही के लंबित होने या विचाराधीन होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। नियम 69(1)(क) इन शब्दों से शुरू होता है, *"नियम 9 के उप-नियम (4) में निर्दिष्ट सरकारी सेवक के संबंध में, लेखा अधिकारी ..... के बराबर अनंतिम पेंशन को प्राधिकृत करेगा।"* चूँकि प्रत्यर्थी को ऐसा सरकारी

सेवक नहीं कहा जा सकता है जिस पर नियम 9 का उप-नियम (4) लागू होता है, इसलिए आवश्यक परिणाम यह है कि नियम 69(1)(क) भी प्रत्यर्थी के मामले पर लागू नहीं होता है। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी को पेंशन नियमों के नियम 69 के अनुसार केवल अनंतिम पेंशन के अनुदान के अधीन नहीं किया जा सकता है।

21. नियम 69(1) (ग) स्पष्ट शब्दों में कहता है कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूरी होने और उस पर अंतिम आदेश जारी होने तक सरकारी सेवक को कोई उपदान नहीं दिया जाएगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ विभागीय कार्यवाही सीसीएस (सीसीए) नियमों के खंड (i), (ii) और (iv) में निर्दिष्ट मामूली दंड अधिरोपित करने के लिए है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ विभागीय कार्यवाही बड़े दंड अधिरोपित करने या सीसीएस (सीसीए) नियमों के नियम 11 के खंड (iii) और (iii)(ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट मामूली दंड अधिरोपित करने के लिए है, या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक न्यायिक कार्यवाही के अधीन है, वह ऐसी कार्यवाही के समापन और उस पर अंतिम आदेश जारी होने तक उपदान के भुगतान का हकदार नहीं होगा। विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूरी होने तक उपदान के भुगतान से इनकार करने का कारण सरल है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नियम 9(1) राष्ट्रपति को पेंशन या उपदान या दोनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोकने या पेंशन को पूरी तरह या आंशिक

रूप से स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वापस लेने और यहाँ तक कि सरकार को हुई किसी भी वित्तीय हानि की पूरी या आंशिक राशि की पेंशन या उपदान से वसूली का आदेश देने की शक्ति देता है, ऐसे मामले में जब पेंशनभोगी घोर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को वित्तीय हानि हुई है। इस तरह का निष्कर्ष विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में ही निकाला जा सकता है। यह नियम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उक्त नियम के प्रयोजनों के लिए, 'उपदान' शब्द का प्रयोग 'पेंशन' शब्द के विपरीत किया गया है। इसलिए, यदि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को उपदान जारी नहीं किया गया है, जिस पर पेंशन नियम का नियम 9 (4) लागू होता है, तो यह उसे नियम 69(1)(ग) के अनुसार ही जारी किया जा सकता है। हम उल्लेख करेंगे कि अनंतिम पेंशन के निर्धारण और उपदान को रोकने के संबंध में उपबंध केवल अंतरिम व्यवस्था की प्रकृति के हैं क्योंकि पेंशन और उपदान के भुगतान के संबंध में अंतिम निर्णय विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करेगा, जैसा भी मामला हो।

22. इससे यह प्रश्न उठता है कि सरकार और सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के अधिकारों में अनंतिम पेंशन के निर्धारण और सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के उपदान को रोकने के संबंध में क्या अंतर है। क्या ऐसा है कि हर मामले में जहाँ नियम 9(6) के अनुसार सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि

पर न तो विभागीय कार्यवाही और न ही न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई है, वह तुरंत पूरी पेंशन और उपदान प्राप्त करने का हकदार हो जाता है? ऐसी स्थिति में, यदि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से कुछ समय बीत जाने के बाद, लेकिन नियम 9(2)(ख)(ii) के अंतर्गत अनुमेय समय के भीतर या अन्यथा परिसीमा अवधि के भीतर शुरू की जाती है, तो क्या सरकार अनंतिम पेंशन निर्धारित करने की हकदार नहीं होगी और यदि तब तक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को उपदान का भुगतान नहीं किया गया है, तो क्या सरकार पेंशन नियमों के नियम 9(4) और नियम 69(1)(ग) के अनुसार उपदान रोकने की हकदार नहीं होगी?

23. हम उल्लेख करेंगे कि विभागीय कार्यवाही शुरू करने के विपरीत, न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पेंशन नियमों के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जिसके भीतर सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद इसे शुरू किया जा सके। हालाँकि, न्यायिक कार्यवाही, चाहे वे सिविल हों या आपराधिक, परिसीमा की विधि के अधीन होंगी। नियम 9(4) का परिशीलन करने से पता चलता है कि उक्त नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, हर उस मामले पर लागू होता है जहाँ सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू की जाती है। उक्त उप-नियम (4) यह नहीं कहता है कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही अनिवार्य रूप से सरकारी सेवक की अधिवर्षिता

की तिथि को अस्तित्व में होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब विभागीय या न्यायिक कार्यवाही अधिवर्षिता की तिथि के बाद वैध रूप से शुरू की जाती है, तब भी नियम 69 में दिए गए अनुसार सरकारी सेवक के पक्ष में अनंतिम पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

24. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की पेंशन बहुत पहले ही तय कर दी जानी चाहिए, ताकि उसकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उसे पेंशन के भुगतान में कोई देरी न हो। पेंशन नियमों के अध्याय VIII और नियम 83 और 85 में निहित उपबंधों का संदर्भ लिया जाएगा। परिणामस्वरूप, यह इस प्रकार है कि ऐसे सरकारी सेवक के संबंध में, जिस पर पेंशन नियम का नियम 9(4) लागू नहीं होता है, सरकार पूरी पेंशन तय करने और भुगतान करने के लिए बाध्य है और जब तक कि नियम 9(4) में अनुध्यात स्थिति (वैध कार्यवाही की स्थापना के साथ) उत्पन्न नहीं होती है, तब तक उसका भुगतान जारी रखना चाहिए। एक बार नियम 9(4) के अंतर्गत आने वाली स्थिति उत्पन्न होने पर, सरकार को अनंतिम पेंशन तय करने और कार्यवाही के समापन तक उसका भुगतान जारी रखने का अधिकार हो जाएगा, और यह कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। जबकि मासिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद प्राप्त होता है, और नियम 85(2) के अनुसार इसका भुगतान *"मासिक रूप से उस महीने के अंतिम कार्य दिवस को या उसके बाद किया*

जाना है जिससे पेंशन संबंधित है .....", जहाँ तक उपदान का प्रश्न है, इसके वितरण के संबंध में कोई विशिष्ट नियम नहीं है। नियम 85(1) में कहा गया है कि *"इन नियमों में अन्यथा प्रावधान के अतिरिक्त, उपदान का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा"।* पेंशन के संबंध में, सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद महीने दर महीने पेंशन प्राप्त करने का एक कानूनी अधिकार मौजूद है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को उपदान जारी करने के संबंध में कोई समयबद्ध निर्देश नहीं है। पेंशन नियमों के नियम 9(1) से स्पष्ट है कि यह योजना भी यही प्रतीत होती है। राष्ट्रपति द्वारा पेंशन या उपदान या दोनों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोकने का प्रश्न केवल उस स्थिति में उठ सकता है, जब वास्तव में सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को इसका भुगतान नहीं किया गया हो। पेंशन नियमों के उपरोक्त विश्लेषण से, हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:-

(i) ऐसे मामले में जहाँ सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि पर पेंशन नियमों के नियम 9(6) के अनुसार न तो विभागीय कार्यवाही और न ही न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई है, वह तुरंत पूर्ण पेंशन प्राप्त करने का हकदार हो जाता है।

(ii) यदि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद वैध रूप से, लेकिन नियम 9(2)(ख)(ii) के अंतर्गत अनुमेय समय के भीतर या अन्यथा परिसीमा अवधि के भीतर शुरू की

जाती है, तो सरकार कार्यवाही के समापन तक भुगतान की जाने वाली अनंतिम पेंशन तय करने की हकदार हो जाएगी और पेंशन के भुगतान के संबंध में कार्यवाही में आए अंतिम निर्णय का पालन करेगी।

(iii) जबकि सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति पर उपदान प्राप्त करने का हकदार हो जाता है (जब नियम 9(6) के अनुसार कार्यवाही उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर अस्तित्व में नहीं होती है), ऐसा कोई नियम नहीं है कि सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद इसका भुगतान किया जाता है। यदि कार्यवाही सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद, लेकिन उसे उपदान के वितरण से पहले वैध रूप से शुरू की जाती है, तो सरकारी सेवक तब तक उपदान जारी करने का दावा नहीं कर सकता जब तक कि कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है, और उपदान के संवितरण के संबंध में अंतिम निर्णय कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करेगा।

25. क्या इसका अर्थ यह है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की उपदान को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू होने तक किसी भी अवधि के लिए रोका जा सकता है? हमारे विचार में इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। यदि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध नियम

9(2)(ख) द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर अर्थात् कदाचार के चार साल के भीतर विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, तो उसे शुरू ही नहीं किया जा सकता। इसी तरह, न्यायिक कार्यवाही भी परिसीमा अवधि के भीतर शुरू करनी होगी। यदि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध परिसीमा अवधि के भीतर कोई न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, तो सरकार के लिए बाद में उन्हें शुरू करना या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पूरी पेंशन या उपदान रोकना भी अस्वीकार्य होगा। अनुशासनात्मक या न्यायिक कार्यवाही के आसन्न में उपदान के अनुदान को रोकने की शक्ति का सरकार द्वारा दुरुपयोग या दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। यह सरकार के हाथों सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को परेशान करने का साधन नहीं बन सकता है। साथ ही, सरकार को किसी योग्य मामले में सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संबंध में उपदान रोकने के अपने अधिकार से आसानी से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हर मामले में जहाँ सरकार सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संबंध में उपदान रोकती है, सरकार को उन विशेष मामलों के संदर्भ में आधारों का प्रकटीकरण करते हुए एक आदेश पारित करने के लिए बाध्य होना चाहिए जिनके संबंध में सरकारी सेवक के विरुद्ध पेंशन नियमों के नियम 9(4) और नियम 69 का अवलंब लेने की माँग की जाती है।

26. इस मामले के तथ्यों पर गौर करें तो हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में आरसी/प्राथमिकी दिनांक 6.2.2001 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के चार साल बाद तक भी प्रत्यर्थी के विरुद्ध न तो कोई शिकायत दर्ज की गई और न ही चालान दाखिल किया गया। परिणामस्वरूप, हमारे विचार में प्रत्यर्थी को उसके हक का बकाया उपदान देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

27. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करेंगे कि नियम 9(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार पर किसी भी तरह से इस तथ्य से कोई रोक नहीं लगती कि सरकारी सेवक को उसका उपदान और पेंशन जारी कर दी गई है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पेंशन को पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस लेने और सरकार को हुई वित्तीय हानि के पूरे या किसी अंश की पेंशन या उपदान से वसूली का आदेश देने का विकल्प हमेशा खुला रहता है, जैसा कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में स्थापित होगा। इन टिप्पणियों के साथ, पक्षकारगण को अपने संबंधित जुर्माने अदा करने के साथ हम इस याचिका को खारिज करते हैं।

(विपिन सांघी)
न्यायाधीश

(ए.के. सीकरी)
न्यायाधीश

04 जुलाई, 2008

एजे/एएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*